

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 771]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 2015/ अग्रहायण 19, 1937

No. 771]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 2015/ AGRAHANYANA 19, 1937

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 953(अ).—भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग अधिनियम, 1985 (1985 के 82) के खंड 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग नियम 1986 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है नामतः —

1. ये नियम भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) नियम 2015 कहलाएंगे।
2. ये सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
3. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 1986 के नियम 25 में "50 करोड़" शब्दों के स्थान पर "एक सौ करोड़" रखा जाएगा।

[स. आईडब्ल्यूटी 11011/20/2015—आईडब्ल्यूटी]

रबिन्द्र कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

नोट : भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियम, 1986 अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1275 (अ) दि.10.12.1986 द्वारा भारत के राजपत्र में असाधारण भाग (II) खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया और तदुपरांत निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया :—

1. सा. का नि 551(अ) दिनांक 22.5.1992
2. सा. का नि 311 दिनांक 31.7.2000
3. सा. का नि 514 दिनांक 12.12.2000
4. सा. का नि 449 दिनांक 10.10.2002
5. सा. का नि 31 दिनांक 21.2.2007
6. सा. का नि 858(अ) दिनांक 10.12.2008

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2015

G.S.R. 953(E).— In exercise of the powers conferred by section 34 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Inland Waterways Authority of India Rules, 1986, namely:-

- (1) These rules may be called the Inland Waterways Authority of India (Amendment) rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Inland Waterways Authority of India Rules, 1986, in rule 25 for the words “fifty crores”, the words “one hundred crores” shall be substituted.

[No. IWT-11011/20/2015-IWT]

RABINDRA KUMAR AGARWAL, Jt. Secy

Note:- The Inland Waterways Authority of India Rules, 1986 were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R 1275 (E) dated the 10th December, 1986 and subsequently amended vide notification numbers:-

1. G.S.R. 551 (E) dated the 22nd May, 1992;
2. G.S.R. 311. dated the 31st July, 2000;
3. G.S.R. 514. dated the 12th December, 2000;
4. G.S.R. 449. dated the 10th October, 2002;
5. G.S.R. 31. dated the 21st February, 2007;
6. G.S.R. 858 (E) dated the 10th December, 2008;